छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 515/2008

1. श्रीमती प्रमीला बाई साहू, — *शिकायतकर्ता*
शिवनगर, तात्यापारा, वार्ड–38,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *अनावेदक*
कार्यालय आयुक्त, नगर निगम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 01 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्रीमती प्रमीलाबाई साहू द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के समक्ष दिनांक 23.05.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उसके बाद उक्त आवेदन अन्य जोन का बताने पर दिनांक 24.05.2008 को कार्यालय जोन क्रमांक–7 में शुल्क जमा कराकर आवेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.06.2008 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में बहस के दौरान त्रुटिपूर्ण जानकारी देना बताया गया, अतः पूर्ण एवं सही जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क देने के निर्देश दिये गये । श्री व्ही0के0 देवांगन, जोन प्रभारी ने बीच में चुनाव के कारण आदेश का पालन नहीं होने का कारण बताया, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई और अगली तारीख चाही गई । तत्पश्चात् अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक 25.04.2009 को न तो जन सूचना अधिकारी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया । इससे यह प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी का रवैया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति काफी लापरवाहीपूर्ण है, यहॉ तक कि वे आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं समझतें और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी उपस्थित नहीं हुये, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर शिकायतकर्ता के तर्कों को सुना गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी का दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर एक हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही प्रकरण में अब जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में अब पूर्ण एवं सही जानकारी शिकायतकर्ता को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान करें ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रकरण में अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से शिकायतकर्ता को राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

2/– उपरोक्त निर्देशों के साथ शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com